

कोटेशन नोटिस

भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016 तक वार्षिक अनुबंध के आधार पर नोटों की ब्रिकेटस की बिक्री के लिए मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करता है।

विधिवत भरे गए कोटेशन को श्री ए. मजूमदार, महाप्रबंधक, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को संबोधित करते हुए सीलबंद लिफाफे में जिसके ऊपर "नोट ब्रिकेट की खरीद के लिए कोटेशन" लिखकर 27 अप्रैल 2015 को अपराह्न 3:00 बजे तक या उससे पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बैंक किसी या सभी कोटेशनों को स्वीकार करने या कोई भी कारण बताए बिना अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

निम्नलिखित नियम और शर्तें लागू होंगी :

क) लगभग 30 कि.ग्रा. की पॉली बैग (ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की जाएगी) में नोट ब्रिकेटस के संग्रह की व्यवस्था के लिए ठेकेदार द्वारा पर्याप्त व्यक्तियों को काम में लगाना चाहिए।

ख) जब भी 200 बैग जमा हो जाते हैं तो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर से बाहर ले जाना चाहिए और अपनी व्यवस्था पर भंडारित किया जाना चाहिए।

ग) जमानत राशि के रूप में बैंक के पास रु.50,000/- रुपये जमा करने होंगे, जिसे संविदा के खत्म होने पर वापस किया जाएगा।

घ) भुगतान अगले महीने के पहले सप्ताह में करना होगा।

ङ) असम वैट @14.50% और टीसीएस @ 1% लागू है और यह ठेकेदार को वहन करना होगा।

च) बैंक द्वारा स्वीकार दर संविदा की अवधि खत्म होने तक लागू रहेगी।

छ) ठेकेदार को नोट ब्रिकेटस का उपयोग विशेष रूप से औद्योगिक गतिविधियों के लिए पर्यावरण अनुकूल तरीके से करना चाहिए। इसे किसी भी पर्यावरण प्रदूषण/स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण नहीं बनना चाहिए, जो बैंक और जनता के आम हित के लिए हानिकारक हो। किसी भी परिस्थिति में, हमारे परिसर से उठाये गए ब्रिकेटस को उनकी प्रोसेसिंग के लिए औद्योगिक इकाई के परिसरों के अलावा किसी भी दूसरी जगह में नहीं भेजा जाना चाहिए।

नोट ब्रिकेटस की बिक्री प्रति किलो दर (अंग्रेजी में आंकड़े औरशब्दों में भरे जाने के लिए)

मैं / हम कोटेशन के सभी नियमों और शर्तों से सहमत हैं।

हस्ताक्षर / Signature:

नाम और पता

टेलीफोन

ईमेल

स्थान

तारीख

कंपनी की मुहर, यदि हो तो